फर्द–अहकाम
अज अदालत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राज.)

बालकिशन बनाम जितेन्द्र शर्मा

नंबरी फौजदारी संख्या :– 537/2007

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	07.03.2026 परिवादी बालकिशन अनुपस्थित। अधिवक्ता परिवादी श्री अख्तर रसूल अनुपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त श्री ललित गौतम उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित है जिसकी आज की हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो आज के लिये स्वीकार किया गया। हस्तगत प्रकरण परिवाद अंतर्गत धारा 138 एनआईएक्ट पर संस्थित मामला है। परिवादी व उसके अधिवक्ता को बार बार आवाजे लगवाई गई मगर उपस्थित नहीं है। प्रकरण लक्षित प्रकरणों में दर्ज है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा शीघ्र निस्तारण के आदेश है। अतः प्रकरण को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू	